

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 मार्च 2014—फाल्गुन 28, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2014

क्र. एफ-ए-1-1-2014-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, अनुक्रमांक “चवालीस-सार्वजनिक उपक्रम” का लोप किया जाए,
2. अनुसूची में,—

(क) शीर्षक “ग्यारह-वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग” के अधीन,

(एक) भाग (अ) में, अनुक्रमांक 22 औ के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

- “22-अं—(1) नीति क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण इन दोनों से संबंधित सामान्य पथ-प्रदर्शन रेखाओं के व्यवस्थापन से सम्बद्ध विषय
- (2) निगमों के सर्वोपरि प्रबंधकीय पदों पर नियुक्तियां
 - (3) निगमों की सामान्य समस्याएं
 - (4) प्रबंध पद्धतियों, प्रबंध प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग पद्धतियों का समन्वयन”

(दो) भाग (ई) में, शब्द “कुछ नहीं” के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“1. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल तथा मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा गठित निगम.”.

(ख) शीर्षक “चवालीस—सार्वजनिक उपक्रम विभाग” और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2014

क्र. एफ-ए-1-1-2014-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-1-1-2014-एक (1), दिनांक 19 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 19th March 2014

No. F A-1-1-2014-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2,—Serial number “XLIV-Public Undertakings.” shall be omitted;
2. In the Schedule,—

(a) Under the heading “XI-Commerce, Industry and Employment Department”,—

(i) In part (A), after serial number 22-J, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“22-K-(1). Matter relating to formulation of general guidelines with respect to both policy, implementation and review of the workings of Public Undertakings.

(2) Appointments of the top managerial posts of the Corporations.

(3) General Problems of the Corporations.

(4) Co-ordination of management systems, management procedures, reporting systems.”

(ii) In Part (D), for the word “Nil” the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“1. Corporations constitution by the concerned departments other than the Madhya Pradesh State Electricity Board and Madhya Pradesh State Road Transport Corporation and Co-operative institutions.

(b) Heading “XLIV-Public Undertakings Department” and entries relating thereto shall be omitted;

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.